न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 38/2024 तारीख रजू:– 24.06.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. शिवचरण पुत्र जनक सिंह जाति गुर्जर निवासी जटनंगला तिघरिया का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान। ——————————प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन ।
2. अमृत पुत्र जनक
3. कप्तान पुत्र जनक
4. अच्छन पत्नि जनक

जाति गुर्जर निवासी तिघरिया का पुरा जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती इन्द्राज जाति मीना को जाति गुर्जर दर्ज करने तथा नाम महर सिंह के स्थान पर शिवचरण गुर्जर दर्ज बाबत् राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित :– 1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी गांव तिघरिया का पुरा तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान के मूल निवासी है। जिनकी जाति गुर्जर है, जो कि अन्य विशिष्ठ पिछडा वर्ग जाति की श्रेणी में आती है। तथा प्रार्थी का सही एवम वास्तविक नाम शिवचरण है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 11 व पुराना नंवर 12, ग्राम तिघरिया का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। जिसमें प्रार्थी की जाति सहवन से मीना दर्ज है। तथा नाम महर सिंह दर्ज है। जो गलत है। सही जाति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गुर्जर है। तथा खाता संख्या नया 12 व पुराना 12 मे प्रार्थी का नाम सहवन से महर सिह दर्ज हो गया है। जो कि प्रार्थी का प्यार का नाम है। तथा प्रार्थी का नाम सहवन से नामान्तकरण खुलते समय महरसिंह दर्ज हो गया था। प्रार्थी को घर पर प्यार से महर सिंह भी कहते थे। इस कारण नामान्तकण भरते समय सहवन से नाम महरसिंह दर्ज हो गया था। जबकि प्रार्थी का सही एवम बास्तविक नाम शिवचरण है। प्रार्थी की माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम शिवचरण दर्ज है। प्रार्थी को जिसे राजस्व रिकार्ड में संशोधित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 12 व पुराना खाता संख्या 12 वाके ग्राम तिघरिया का पुरा तहसील हिण्डौन में प्रार्थी के पिताजी की जाति गुर्जर दर्ज है। तथा प्रार्थी का नाम सहवन से महरसिंह दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिवचरण है। जिसमें प्रार्थी की जाति जिसमें प्रार्थी की सही जाति गुर्जर दर्ज है। जिसे राजस्व रिकोर्ड में संशोधित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नम्वर 2 प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकोर्ड में सेटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा जाति मीना लिखा है तथा सही जाति गुर्जर है जो कि विशिष्ठ अन्य पिछडा वर्ग जाति से कनेक्ट है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी की जाति गुर्जर है तथा प्रार्थी का सही नाम शिवचरण है। न्याय हित में उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी की जाति गुर्जर है जिसे राजस्व रिकोर्ड में संशोधित किया जाना आवश्यक है। मीना के स्थान पर गुर्जर दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय सगंत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी दिनांक 18—05—2024 को प्रार्थी ने तहसीलदार जी हिण्डौन के पास जमाबंदी की कोपी लेने गया तो पटवारी हल्का से पता चला कि राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से शिवचरण के स्थान पर महरसिंह दर्ज हो गया है तथा प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर मीना दर्ज हो गयी है। जिसे दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार जी हिण्डौन से कहा तो तहसीलदारजी ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है। इसकारण यह प्रार्थना पत्र धारा 136 रा० लै०रे०ऐक्ट पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। जिस पर उचित कोर्ट फीस एक रूपया होती है। जो अदा की गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 रा० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजीयात मुतजिका मद नम्वर 2 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी की जाति मीना के स्थान पर गुर्जर तथा राजस्व रिकोर्ड भूमि मुतजिक्रा मद नं0 2 व 3 में प्रार्थी का नाम महर सिंह के स्थान पर शिवचरण दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में संशोधन कर दिया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ वहक प्रार्थी साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 किता 2, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 970469841144 शिवचरण पुत्र जनकसिंह निवासी तिघरिया का पुरा मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान, फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2007 नामांक नं0 0785087, क्रमांक 0764427 शिवचरण गुर्जर पुत्र जनकसिंह माता अचन देवी, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. क्रमांक 970469841144, बार कोड सं0 007650500053 शिवचरण पुत्र जनकसिंह निवासी तिगरिया का पुरा जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.20 है0, 166 रकबा 0.13 है0, 167 रकबा 0.20 है0, 168 रकबा 0.24 है0, 169 रकबा 0.18 है0, 170 रकबा 0.21 है0, 171 रकबा 0.01 है0, 172 रकबा 0.26 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.43

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है0 वाके ग्राम तिगरिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में महरसिंह पुत्र जनक हि0 1/108 जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.20 है0, 166 रकबा 0.13 है0, 167 रकबा 0.20 है0, 168 रकबा 0.24 है0, 169 रकबा 0.18 है0, 170 रकबा 0.21 है0, 171 रकबा 0.01 है0, 172 रकबा 0.26 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम तिगरिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में टीकाराम, भरत, जनक पि0 नवले हि0 1/9 जाति गूजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 15 नि0 दिं0 15.02.2013 विरासत से जनक पुत्र नवले हि0 1/27 के स्थान पर अच्छन बेबा जनक, कप्तान महरसिंह अमृत पि0 जनक हि0 1/27 जाति गूजर सा0देह के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 970469841144 शिवचरण पुत्र जनकसिंह निवासी तिघरिया का पुरा मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2007 नामांक नं0 0785087, कमांक 0764427 शिवचरण गुर्जर पुत्र जनकसिंह माता अच्छन देवी के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. कमांक 970469841144, बार कोड सं0 007650500053 शिवचरण पुत्र जनकसिंह निवासी तिगरिया का पुरा जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम महरसिंह पुत्र जनक जाति मीना दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये आधार कार्ड, अंकतालिका में प्रार्थी का नाम शिवचरण पुत्र जनकसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी की जाति गूजर है जबकि नवीन जमाबन्दी सं0 2073–76 में प्रार्थी की जाति मीना दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम व जाति महरसिंह पुत्र जनक जाति मीना हि0 1/108 के स्थान पर महरसिंह पुत्र जनकसिंह जाति गूजर हि0 1/108 दुरूस्त कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.20 है0, 166 रकबा 0.13 है0, 167 रकबा 0.20 है0, 168 रकबा 0.24 है0, 169 रकबा 0.18 है0, 170 रकबा 0.21 है0, 171 रकबा 0.01 है0, 172 रकबा 0.26 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम तिगरिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में महरसिंह पुत्र जनक हि0 1/108 जाति मीना सा0 देह खातेदार के स्थान पर शिवचरण पुत्र जनक 1/108 जाति गूजर सा0 देह खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)